राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 343/2014/उदयपुर.

मैसर्स माहेश्वरी एण्ड संस भुपालपुरा, उदयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी उदयपुर. .....प्रत्यर्थी.
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त बी उदयपुर.

एकलपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित ::

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर. के. खदाव, उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 27/07/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 26/वेट/13–14/उदयपुर में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 13.11.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

3. उक्त प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स वान मेल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड से चॉकलेट की खरीद की गई थी, जिस पर व्यवहारी द्वारा 4 प्रतिशत से कर वसुल किया गया थां, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस माल को कन्फैक्शनरी मानते हुए एवं इसके ब्रांडेड होने से सामान्य दर से करारोपण किया गया क्योंकि ब्रांडेड कन्फैक्शनरी कर अनुसुची–IV की किसी प्रविष्टि में सम्मिलित की हुई नहीं थी। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 19.02.2013 के विरूद्व प्रस्तुत अपील को अपीलीय अधिकारी द्वारा खारिज किया गया है, जिसके विरूद्व व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील में सुनवाई की गई। इस प्रकरण में व्यवहारी द्वारा बिक्रीत किया गया माल प्रिंसिपल व्यवहारी मैसर्स वान मेले से खरीदा हुआ था एवं प्रिंसीपल वान मेले के प्रकरण में विवाद होने पर माननीय राजस्थान कर बोर्ड एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा **मैसर्स परफैटी वान मेले के प्रकरण संख्या 473/2011 निर्णय दिनांक 17.02.2017** में निर्णय किया जा चुका है कि प्रिंसिपल वान मेले द्वारा विक्रय किया गया माल ब्रांडेड कंफैक्शनरी होने से वह अनुसुची–IV की किसी प्रविष्टी में कर देने की पात्रता नहीं रखता, अतः अनुसुची–V के अनुसार 14 प्रतिशत से कर योग्य है।

लगातार.....2

चूंकि यह प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय से पूर्णतया कवर्ड है, अतः अन्य किसी विवेचना के अपीलार्थी व्यवहारी की अपील खारिज की जाती है एवं अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

4. प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा व्यवहारी को आई.टी.सी का लाभ दिये जाने का यह तर्क दिया गया है कि यदि विक्रेता व्यवसायी द्वारा 14 प्रतिशत से कर दिया गया है तो उसकी आई.टी.सी का लाभ अपीलार्थी को दिया जावे। अपीलार्थी का यह तर्क विधिसम्मत होने से इस सम्बन्ध में माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ के निर्णय **मैसर्स राकेश जनरल स्टोर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत–बी, अलवर अपील संख्या 1018/2012/अलवर में निर्णय दिनांक 18.9.2017** के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि यदि व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 18 की शर्तों की पूर्ति की जाती है तथा आवश्यक वांछित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाते हैं तो इस सम्बन्ध में विधिक प्रावधानों के अनुसार आई.टी.सी दिये जाने की कार्यवाही की जावे।

5. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य